223 (6) केन्द्रीय लोक उद्यमों में अधिकारियों के लिए मकान पट्टे पर लिया जाना

1.1.97 से केन्द्रीय लोक उद्यमों के बोर्ड अैर बोर्ड से नीचे स्तर के कार्यकारी कधिकारियों के लिए वेतन संशोधन से संबंधित लोक उद्यम विभाग के तारीख 25.6.99 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(49)/98–डी.पी.ई. (डब्ल्यू सी) की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन का पैराग्राफ निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए:–

''पट्टे पर आवास के संबंध में, लोक उद्यमों के बोर्ड के पास इस सुविधा के हकदार कार्यकारी अधिकारियों को पट्टे पर पर्याप्त स्तर के आवास व्यवस्था करने के लिए संवीक्षा करने का प्राधिकार रहेगा।

2. सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि पट्टे पर आवास की अनुमति, पट्टे पर आवास को उच्च किराया मूल्य के भुगतान, गैर–हकदार अधिकारियों को पट्टे पर आवास की अनुमति, अपेक्षाकृत कनिष्ठ अधिकारियों को उच्च श्रेणी के आवास की अनुमति के मामले में कुछ अनियमितताएं बरती जा रही हैं। इस प्रकार के व्यवहार को केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने गंभीरता से लिया है।

3. यद्यपि लोक उद्यम बोर्ड के पास उनके कार्यकारी अधिकारियों को पट्टे पर पर्याप्त स्तर के आवास व्यवस्था करने की समीक्षा करने का विकल्प है। यह देखने के लिए सम्बद्ध अधिकारियों को जो स्वतः पट्टे पर अपना आवास/फ्लैट ले रहे हों या भले ही वे पट्टा आधार पर कम्पनी का मकान/फ्लैट ले रहे हों को अनुचित फायदा न हो, बोर्ड को सावधानीपूर्वक अपने नियंत्रण का उपयोग करना चाहिए। बोर्ड को अपने कार्यकारी अधिकारियों को पट्टे पर आवास की अनुममि देते समय निम्नलिखित लाइनों पर उपयुक्त कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है:–

(क) पी एस यू के बोर्ड उन कार्यकारी अधिकारियों की पहचान करें जो पट्टे पर आवास के हकदार हैं और उन्हें अधियूचित करें:

(ख) यदि कार्यकारी अधिकारियों को कम्पनी के अपने मकान/फ्लैट दिए जाते हैं, ये मकान/फ्लैट अभिनिश्चित प्लिथ क्षेत्र के होने चाहिएं। ऐसी हकदारी की निदेशक मंडल द्वारा भी निर्दिष्ट किये जाने की अवाश्यकता होगी।

(ग) यदि किसी भी अधिकारी को स्वपट्टा आधार पर उसके अपने ही मकान/फ्लैट को पट्टा आधार पर रहने की अनुमति दी जाती है तो फ्लैट/मकान के क्षेत्र/अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए पट्टे की राशि का भुगतान किसी भी स्थिति में बाजार दर से अधिक नहीं होना चाहिए। स्वपट्टा आवास में इस बात का ध्यान रखा जाए कि उक्त आवास की राशि सम्बद्ध कर्मचारी की अतिरिक्त आय का स्त्रोत न हो।

(घ) यदि किसी प्राइवेट मालिक से पट्टा आधार पर आवास लेने के बाद कम्पनी पट्टा आवास की व्यवस्था करती है, तो पट्टा आधार पर आवास लिये जाने का निर्णय इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के बाद लिया जाना चाहिए जैसे कि निविदाएं आमंत्रित करनाअन्य किसी की मौजूदगी में निविदाएं खोलना आदि।

(ड.) इन सभी मामलों में जहां कंपनी अपने कार्यकारी अधिकारियों के लिए पट्टा आवास की व्यवस्था करती है या यहां तक कि कम्पनी स्वपट्टा आवास की अनुमति देती है तो निदेशक मंडल कार्यकारी अधिकारियों की तैनाती के शहरों की श्रेणी अर्थात् 'क' 'ख' 'ग' व गैर–वर्गीकृत शहरों की श्रेणी का ध्यान रखते हुए प्लिय क्षेत्र और अधिकतम मूल्य का निर्धारण करें।

4. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय लोक उद्यमों के ध्यान में पूर्वोल्लिखित को लाएं और सावधानी से उपयोग में लाने की हिदायतें जारी करें। प्रशासनिक मंत्रालयों को समय–समय पर उार्युक्त स्थितियों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना चाहिए।

(लोक उद्यम विभाग का 29 अक्टूबर, 2003 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(38)/03–डी पी ई (डब्ल्यू सी) जी एल–XXIV)